राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 15 जुलाई, 1981

क्रमांक **953**-ज(II)-81-अ-**24430**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री प्रीतप सिंह पुत्र श्री बारा सिंह गांव ढोल, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र को खरीफ 1965 से 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1050**-ज(II)-81/**24434**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(ए1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री दरिया, पुत्र श्री श्रीचन्द, गांव कंसाला, तहसील व जिला रोहतक को रबी, 1976 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **464**-ज(I)-81/**24438**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा से राज्यपाल श्री जवाहर सिंह, पुत्र श्री सोहनसिंह, गांव पावनी खुर्द, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला की रबी, 1969 से रबी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक खरीफ 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक **445**-ज(I)-81/**24442**.—श्री राम प्रसाद, पुत्र श्री चूना राम, गांव बजाड़, तहसील नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 8 जुलाई, 1979 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम प्रसाद को मु. 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 255-ज-I-76/5875 दिनांक 25 फरवरी 1976 द्वारा मंजूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती सोनी के नाम रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 17 जुलाई, 1981

क्रमांक **-550**ज(II)-81/**24714**.—श्री मांगे राम पुत्र श्री रिजक राम, गांव समचाना, तहसील व जिला रोहतक की दिनांक 30 मई, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्य पाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) 1(ए) तथा 3(ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए श्री मांगे राम को मुल्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6219-ज(II)-70/2475, दिनांक 27 जनवरी, 1971 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सुखदेई के नाम खरीफ 1978 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1162**-ज-(I)-81/**24718**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमे आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) 1 तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री ब्योनारायण, पुत्र श्री उदमी राम, गांव छपार, तहसील दादरी, जिला भिवानी को रबी, 1967 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ 1970 से खरीफ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।